(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग–III, खंड–4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 124 **नई दिल्ली** **17 जुलाई 2009**

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, 9 फरवरी, 2007 को अधिसूचित आदेश सं. टीएएमपी/63/2005–सीओपीटी द्वारा अनुमोदित कोचीन पत्तन न्यास के मौजूदा दरमान में संशोधन करता है।

(अरविन्द कुमार)
सदस्य

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

<u>मामला सं. टीएएमपी/6/2008–सीओपीटी</u>

कोचीन पत्तन न्यास ———— आवेदक

आदेश

(जून, 2009 के 27वें दिन पारित)

यह मामला इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएएमपी/63/2005–सीओपीटी दिनांक 25 जनवरी 2007 द्वारा अनुमोदित सीओपीटी के मौजूदा दरमान में संशोधन के लिए कोचीन पत्तन न्यास (सीओपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है। संशोधित दरमान सहित उक्त आदेश राजपत्र सं. 38 द्वारा 9 फरवरी 2007 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

2.1. मौजूदा दरमान का खंड 3.3.2. विलंबशुल्क प्रभारों की अनुसूची दो प्रमुख शीर्षों इकाई दर पर निर्धारित कार्गो और यथानुपात आधार पर निर्धारित कार्गो निर्धारित करता है।

2.2. सीओपीटी ने यह कहते हुए यथानुपात आधार पर मूल्यांकित कार्गो के लिए विलंबशुल्क प्रभारों की वसूली की इकाई में संशोधन का प्रस्ताव कियाहै कि उसके पूर्ववर्ती प्रस्ताव में हुई चूक के कारण विलंबशुल्क प्रभारों की वसूली की इकाई में शब्द 'प्रतिदिन अथवा उसका भाग' उल्लिखित नहीं किए गए थे।

2.3. अतः सीओपीटी ने इस प्राधिकरण से गलती को ठीक करने का अनुरोध किया है और प्रस्ताव किया है कि यथानुपात आधार पर निर्धारित कार्गो के लिए वसूली की मौजूदा इकाई ''लागू घाटशुल्क के % रुप में निर्धारित दर प्रतिदिन अथवा उसका भाग''।

2.4. पत्तन ने बताया है कि हालांकि इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरमान प्रतिदिन वसूली विनिर्दिष्ट नहीं करता है, इसलिए यथानुपात आधार पर निर्धारित कार्गो के लिए विलंबशुल्क प्रभार दरमान में निर्धारित घाटशुल्क दर के प्रतिशत स्तर पर केवल प्रतिदिन आधार पर वसूल किया जा रहा है।

3. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, मौजूदा दरमान में संशोधन के लिए सीओपीटी का प्रस्ताव संबद्ध उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियां मांगने के लिए परिचालित किया गया था। उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों से प्राप्त टिप्पणियां सीओपीटी को अग्रेषित की गई थीं। सीओपीटी ने उपयोक्ताओं/उपयोक्ता असोसिएशनों की टिप्पणियों पर अपनी टिप्पणियां भेजी हैं।

4. इस मामले में संयुक्त सुनवाई 20 जनवरी 2009 को सीओपीटी परिसर में आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में, उपस्थित उपयोक्ताओं ने पहले दिए गए अपने लिखित निवेदनों में पहले से संप्रेषित के अलावा कोई और टिप्पणी नहीं की थीं।

5. इस मामले में परामर्शी संबंधी कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय में अभिलेखों में उपलब्ध हैं। संबद्ध पक्षों से प्राप्त टिप्पणियों का सार प्रासंगिक पक्षों को अलग–से भेजा जाएगा। ये ब्योरे हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

6. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती हैः–

(i). दिसम्बर, 1998 में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरमान जो मौजूदा दरमान से पहले था, की जाँच करने पर, यह पाया गया है कि इकाई दर पर निर्धारित कार्गो और यथानुपात आधार पर निर्धारित कार्गो दोनों के लिए विलंबशुल्क की वसूली की इकाई दर प्रतिदिन अथवा उसका भाग आधार पर विनिर्दिष्ट की गई है। मौजूदा दरमान को अनुमोदित करने संबंधी कार्यवाहियों में, इस स्थिति में संशोधन करने पर कोई चर्चा नहीं की गई थी जो सुझाव देती है कि दरमान में प्रकट चूकवश त्रुटि के कारण है।

(ii). जैसाकि सीओपीटी द्वारा सही बताया गया है, यदि विलंबशुल्क यथानुपात आधार पर मूल्यांकित कार्गो पर दिनों की संख्या के संदर्भ में वसूल नहीं किया जाता है तो यह संभव है कि कार्गो जो लगभग 45 दिनों के लिए रूकता है और कार्गो जो उक्त अवधि के बाद रूकता है, विलंबशुल्क प्रभार की इसी राशि का भुगतान करना जारी रखना होगा जोकि एक विसंगति है। विलंबशुल्क प्रभार सामान्यतः पत्तन परिसर में कार्गो के विराम की

अवधि के संदर्भ में लागू होता है। अधिकांश अन्य महापत्तन न्यासों के दरमान ''प्रतिदिन अथवा उसका भाग'' आधार पर इस प्रशुल्क मद की वसूली की इकाई निर्धारित करते हैं। सीओपीटी के दरमान में भी, भार की इकाई पर आधारित निर्धारित कार्गो पर विलंबशुल्क प्रतिदिन अथवा उसका भाग आधार पर निर्धारित किया जाता है। उपर्युक्त बिन्दुओं के मद्देनज़र, मौजूदा दरमान में संशोधन करने के लिए सीओपीटी द्वारा किए गए निवेदन पर पक्षीय विचार किया गया है।

(iii). कई उपयोक्ता असोसिएशनों ने मौजूदा दरों में मुख्यतः वृद्धि करने के लिए प्रस्तावित संशोधन पर आपत्ति उठाई है। पत्तन ने पुष्टि की है कि पत्तन को कोई अतिरिक्त राजस्व प्राप्त नहीं होगा और इसलिए मौजूदा उपयोक्ताओं पर भी कोई अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा, पत्तन उक्त कार्गो मदों पर विलंबशुल्क केवल प्रतिदिन आधार पर वसूल करता है।

(iv). कुछ उपयोक्ता असोसिएशनों ने यथामूल्य आधार पर कार्गो संबंधित प्रभारों की वसूली के मुद्दे को उठाया था। सीओपीटी ने पत्तन द्वारा दाखिल सामान्य संशोधन प्रस्ताव में इस बिन्दु को लिया है जिसपर अलग–से कार्यवाही की जा रही है। सीओपीटी ने यथामूल्य आधार पर कुछ कार्गो मदों पर घाटशुल्क वसूल करने की मौजूदा पद्धति से दूर रहने का प्रस्ताव किया है।

(v). कोचीन कस्टम हाऊस एजेंट्स असोसिएशन और कोचीन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने प्रस्तावित संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं करने का निवेदन किया है। चूंकि यह कार्यवाही मौजूदा दरमान में केवल एक त्रुटि को सही करने के लिए है, इसलिए प्रतिदिन आधार पर कार्गो मदों पर विलंबशुल्क प्रभार वसूल करने के लिए पत्तन द्वारा की गई अभी तक की कार्रवाई भी शोधित की गई है।

7. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, और समग्र विचार–विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण सीओपीटी के मौजूदा दरमान के विलंबशुल्क प्रभार की 3.2.2 अनुसूची में चौथें स्तंभ, दूसरी पंक्ति ''दर लागू घाटशुल्क के % रूप में निर्धारित'' को ''दर लागू घाटशुल्क के % रूप में निर्धारित प्रतिदिन अथवा उसका भाग'' में बदलते हुए संशोधित करता है।

(अरविन्द कुमार)
सदस्य